[illegible]

28-6-19

पत्रावली पेश हुई। [illegible] अभि० उप० / निर्णय हेतु [illegible] को कमीशन के बिन्दु पर बहस / आवश्यक है। बास्ते पुनः बहस दिनांक 2-7-19 को पेश हो।

2-7-19

उभय पक्ष के अभि० उप० / वकील प्रति बहस को मौका चाहते हैं दि० 15-7-19 को पेश हो।

15-7-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब [illegible] अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। [illegible] के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 23-7-19 को पेश हो।

रीडर

23-7-19 उभय पक्ष के अभि० उप० / पुनः बहस सुनी गई। बास्ते आदेश दि० 29-7-19 को पेश हो।

29-7-19

उभय पक्ष के अभि० उप० / वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है निर्णय पृथक से घोषित किया गया। पत्रावली बाद तकमील हो कर दाखिल रिकार्ड हो।

धारा [illegible] मजमीरी

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

===

अध्यासित द्वारा := श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
255	15-3-13	29-7-19

उनवान

1- हरिसिंह पुत्र गीधाराम गूर्जर निवासी बघेरीकंला तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर

2-धोली उर्फ कश्मीरी पुत्री गीधाराम पत्नी जगदीश गूर्जर निवासी बघेरीकलां हाल मिलकपुर गूर्जर तहसील तिजारा

3-मली पुत्री गीधाराम पत्नी शिवराम उर्फ शिब्बू गूर्जर निवासी बघेरीकंला हाल टिहली तहसील तिजारा जिला अलवर

:- वादीगण

बनाम

1- सोमोती देवी पत्नी दयाराम

2- रमेश चन्द्र पु. दयाराम

3- रतनलाल पु. दयाराम

4- पूरण पुत्री दयाराम

5-तारा पुत्री दयाराम

6-काली पुत्री दयाराम गूर्जर निवासी किशोरपुरा तहसील बानसूर

7-जीवराज पुत्र शमशेर

8-चांदूराम पुत्र शमशेर

9-अणचीबाई पुत्री शमशेर जाति गूर्जर हाल निवासी ठाकला तहसील बानसूर जिला अलवर

10-नारायणी बाई पुत्री शमशेरसिंह जाति गूर्जर निवासी हाल टोडियार तहसील व जिला अलवर

11- तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढ़-बास जिला अलवर

:-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति:- 1- श्री अजयकृष्ण व्यास वकील वादीगण की ओर से।

2- श्री महावीर प्रसाद शर्मा वकील प्रतिवादीगण की ओर से।

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

---2---

Scanned by CamScanner

::निर्णय::

पत्रावली पेश हुई। दावे के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:-
वादीगण ने वाद पेश किया कि आ.ख.नं. 1024 रकबा 06बीघा जिसके हाल ख.नं. 1732 रकबा 06बीघा वाके ग्राम बघेरीकंला तहसील किशनगढ़-बास में स्थित है जिसमें वादीगण का पिता गीधा गूर्जर सम्वत् 2000 के पूर्व से काबिज काश्त बदस्तूर रहा। गीधा पुत्र हरसहाय फौत हो चुका है। उसके जीवनकाल में ही वादीगण अपने पिता के साथ काबिज काश्त कर रहे हैं। मृतक गीधा कब्जे काश्त के आधार पर सम्वत् 2016-17 में ही राजस्व रिका जमाबन्दीयात में सबटिनेन्ट काश्तकार के रूप में दर्ज हुवा तथा मौके पर कब्जा काश्त मृतक गीधा का रहा तथा खसरा गिरदावरी में काश्त भी बदस्तुर गीधा की चली आ रही है।

वक्त भू-प्रबन्ध सैटिलमेन्ट वादीगण के पिता का कब्जा काश्त के आधा पर बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन उनके द्वारा मृतक गीधा को मिसल हकियत सम्वत् 2029 के खाना संख्या 13 में गीधा पुत्र हरसहाय जाति गूर्जर साकिन देह उप कृषक दर्ज किया जो माननीय रेवन्यू बोर्ड के फैसले के अनुसार दर्ज किया जिसका अंकन मिसल हकियत में है।

वादीगण के पिता सम्वत् 2000 के पहले से ही काबिज काश्त आराजी मुतदाविया रहे एवं तत्कालीन खातेदार की जानकारी में आराजी मुतदाविया पर खुल्लम खुल्ला काबिज काश्त रहे। गत वर्ष गीधा फौत हो मृतक गीधा के फौत हो जाने से पहले से वादीगण उत्तराधिकारी काबिज काश्त है आज दिन भी मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त है तथा रा0 काश्तकारी अधिनियम वजू में आने के दिन भी पिता वादीगण काबिज काश्त था।

यद्यपि आराजी मुतदाविया के कुल रकबा 06बीघा पर वादीगण वो उनके पिता मृतक गीधा सम्वत् 2016 से बदस्तूर काबिज रहते हुये काश्त चले आ रहे थे। इसी दौरान कब्जे काश्त को लेकर गैर काबिज व गैर वास्त लोग जिनका आराजी मुतदाविया से किसी प्रकार कोई सरोकार व संबंध नहीं था, बिला किसी कानूनी अधिकार के वादीगण वो उनके पिता के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी करना चाहते थे। जिन्होने विभिन्न न्यायालयों में झूठी कार्यवाहीया करने की धमकी दी। चूँकि वादीगण मृतक इयोकोरी की जानकारी में कोई उज्र नहीं किया। फिर भी ऐतीहात के तौर पर वादीगण के पिता गीधा ने आराजी मुतदाविया में से 01-10 बिस्वा

--3--

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

भूमि का बयनामा अपने हक में तकमील कराया तथा 01-10बिस्वा का वादीगण के हक में भी कराया जिसके नामान्तरकरण दर्ज हुये और नामा0 को लेकर मुकदमें बाजी हो गई। लेकिन आराजी मुतदाविया पर वादीगण आज दिन भी काबिज चले आ रहे हैं।

वादीगण के पिता गीधा के नाम दिनांक 9-8-90 को नामान्तकरण सं. 257 खातेदारी का स्वीकार हुआ और राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी 2055में मृतक गीधा खातेदार दर्ज है। नामान्तारकरण सं. 45 व 44 को कतई गलत तरीके से निरस्त किया गया तथा नामान्तारकरण सं. 257 को वादीगण के मृतक पिता गीधा के नाम खातेदारी का था जो सही स्वीकार हुआ। लेकिन दिनांक 26-2-99 को तहसीलदार द्वारा विधि विरुद्ध नामान्तरकरण पर नोट डाल कर खारिज किया। जबकि राजस्व मण्डल अजमेर का ऐसा कोई आदेश नहीं था लेकिन माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा इन्तकाल सं. 46 बाबत ग्राम पंचायत को निर्णय करना था।

आराजी मुतदाविया वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर वादीगण का मुखालफाना कब्जा हो चुका है। बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ वादीगण खातेदारी मुतदाविया हो चुके है।

आ. ख. नं. 1732 रकबा 06बीघा में से 1/4 हिस्सा पिता वादी के हक में एवं 1/4 हिस्सा वादी सं. 1 स्वयं के हक में जो बयनामाजात मृतक श्योकौरी ने पंजीबद्ध कराये हैं उक्त आराजी के रकबा 03बीघा के बतौर खरीददार काबिज काश्तकार है। लिहाजा वादीगण खरीदशुदा बयनामाजात व कब्जा काश्त के आधार पर क्रमश:03बीघा कुल 06बीघा के काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जावे।

वादीगण आराजी मुतदाविया पर अरसे दराज से 12वर्ष से इन अवर ऑन राईट टू दी एक्सक्लूजन ऑफ दी डिफेन्डेन्ट इन नोलेज चला आ रहा है। वादीगण को प्रिक्रपेशन ऑफ लॉ प्रेजवरी एण्ड टाईटल भी प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार वादीगण आराजी मुतदाविा के काबिज काश्त खातेदार घोषित होने के अधिकारी है।

अन्त में वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किये जाने की प्रार्थना की है:-

(अ) डिक्री बजाय दस्तकाराहक बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाकर घोषित किया जावे कि वादादित आराजी हाल ख. नं. 1732रकबा 06बीघा वाके ग्राम बघेरीकलां तहसील किशनगढ़-बास में वादीगण काबिज काश्त खातेदार है तथा जो अबंन प्रतिवादीगण ने अपने नाम का राजस्व रिकार्ड में कराया है वो सरीहन गलत है, हकूक वादीगण के विरुद्ध बातिल

उपजिला कलैक्टर
किशनगढ़ बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

व बेअसर है जिसे हजफ किया जाकर वादीगण का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज फरमाया जावे। वादी सं. 1 जर्ये रजि. बयनामा व वादीगण के पिता द्वारा कराये गये रजि. बयनामा दिनांक 20-10-75 के अनुसार कब्जा काश्त कुल 06बीघा आराजी ख.नं. 1732 वाके ग्राम बधेरीकंला के 3बीघा खातेदार घोषित किया जावे और इसी कदर राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे।

{ब} प्रतिवादीगण को हुक्महस्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी मुतदाविया ख.नं. 1732 रकबा 06बीघा वाके ग्राम बधेरीकलां तहसील किशनगढ-बास से बेदखल ना करे, ना कब्जा काश्त वादीगण में मजाहमत मदाखलत पैदा करे, ना आराजी मुतदाविया को रहन बय, हिबा, लिज इत्यादि से मुन्तकिल करें।

{स} हरजा खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

{द} दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत हो वादीगण के हक में अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद को अस्वीकार करते हुये जवाब पेश किया कि वादीगण के पिता बतौर तब टिनेन्ट कभी काबिज नहीं रहा। वास्तविकता यह है कि आराजी ख.नं. साबिक 1024/6-00 वाके बधेरीकंला की काबिज खातेदार काश्तकार मालिक श्योकोरी बेवा प्राणा जाति गूजर निवासी बधेरीकलां थी। श्योकारी बेवा औरत होने के कारण उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा बाला पुत्र केशोराम गूर्जर निवासी बधेरी कलां को 700/=में रहन रखदी जो दो साल बाद श्योकोरी उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा श्योकोरी ने 700/-रु. वापिस बाला को अदा कर दिया, जो 700/= वापसी दिनांक 26-5-63 को बमौजूदगी उदमी राम चुन्नाराम वो लीला गूजर बधेरीखुर्द को अदा किया गया वो रुपया प्राप्ति की रसीद सरपंच साहब श्री उदमीराम ने तहरीर वो तकमील की वो चुन्नाराम लीलाराम की गवाहिया करा कर रसीद पर बाला ने अपना नि. अँगूठा लगाया वो रसीद में यह भी अंकित किया कि आराजी मजकूरा का कब्जा श्योकारी को दे दिया है, अब इस खेत ख.नं. 1024 से कोई ताल्लुक नहीं है वो रहन छुडाने के बाद उक्त आराजी के 1/2 हिस्सा पर आज तक बाला ने कोई मजाहमत पैदा नहीं की। इस प्रकार उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा श्योकोरी ने वादीगण के पिता गीधा पुत्र हरसहाय गूजर को 700 रुपये में रहन रखी गई जो रहन की राशि 700/= श्योकोरी ने वादीगण पिता

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ-बास (अलवर)

गीधा को वापिस लौटादी वो रहन को छुडा लिया जिसकी तदाकत में रुपया वापिसी की रसीद गीधा के कहने पर सरपंच साहब श्री उदमीराम ने खुद कलम से तहरीर वो तकमील की वो चुन्नाराम रुडाराम बोदनराम की मौजूदगी में गीधा को 700/=रुपये श्योकोरी ने वापिस अदा किये जिस पर रसीद रुपया प्राप्त पर गवाहान के हस्ताक्षर कराये वो वापिस कब्जा प्राप्त कर लिया गीधा ने यह भी तहरीर कराया कि खेत ख॰ नं॰ 1024 से मेरा कोई ताल्लुक किसी प्रकार का नहीं है कब्जा श्योकारी को दे दिया है यदि रहन के दौरान गीधा ने कोई फर्जी अमल राजस्व कर्मचारी से मिलकर करा लिया हो तो उससे श्योकोरी पाबन्द नहीं है कब्जा श्योकोरी को दे दिया था। उक्त आराजी की श्योकोरी अपने जीवन काल में ही अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति वो जायदाद सकनी एक हवेली एक नोहरा, 3 कुंडर दिनांक 1-6-72 को दयाराम पुत्र निरसंगा वो शमशेर पुत्र चुन्ना गूजर निवासी बघेरीकलां को वसीयत करदी वो दिनांक 5-6-72 को उप पंजियक किशनगढ-ब के यहा पंजीबद्ध करादी वो श्योकोरी की मृत्यु के पश्चात् इन्तकाल सं॰ 46 दिनांक27-12-99 को आ॰ ख॰ नं॰ 1732/6-00 वाके बघेरीकलां दयाराम वो शमशेर के नाम दर्ज कर दिया परन्तु गीधा के द्वारा वाद दायर करने पर उक्त इन्तकाल पर स्थगन का नोट लगवा दिया वो इन्तकाल स्वीकार नहीं हो सका जो इन्तकाल बाद में स्वीकार हो चुका है। प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार हैं मौके पर काबिज काश्त है। पिता वादीगण गीधा ने गीधा बनाम सरकार आ॰ ख॰ नं1024/6-00 हाल 1732/6-00 का वह सब टिनेन्ट है, इसलिए उसे धारा 19{2 ए}राज॰काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदार घोषित किया जावे जिसमें निर्णय दिनांक 20-11-85 को एस॰डी॰ओ॰ साहब ने खारिज करदिया पुनः खातेदार घोषित कराने हेतु पेश किया गया वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है। मौजूदा वाद रेस्जूडिकेटा की जद में आता है।

विवादित आराजी से वादीगण का या उनके पिता का कोई सम्बन्ध वो सरोकार नहीं है वादीगण गैर काबिज गैरवास्ता है। वादीगण का पिता गीधा वो हरिसिंह एक चालाक किस्म के व्यक्ति है उन्होने श्योकाकरी खातेदार को विधवा वो महिला होने वो कानून का ज्ञान नहीं होने के कारण दोनों बाप बेटो ने उक्त आराजी के 1/2 भाग में से 1/4 हि॰ का हरिसिंह ने वो 1/4 भाग का गीधा ने पर्जकारी वो छल कपट के आधार द पर फर्जी वो नुमायशी बयनामा की कूटरचना करादी वो बाद में दोनों ने इन्तकाल संख्या 44, 45 अपने पक्ष में स्वीकार कराने चाहे तहसीलदार ने दोनों इन्तकाल दिनांक 10-10-70को खारिज कर दिये क्योंकि बयनामें फर्जी

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ-बास (अलवर)

थे तो कब्जा नहीं था इसके अलावा श्योकोरी मरने पर दयाराम वो शमशेर के हक में वसीयतनामा के आधार पर उन्हें उत्तराधिकारी मानते हुये इन्तकाल सं. 46 दिनांक 27-12-99 के विरुद्ध गीधा वो हरिसिंह ने ग्राम पंचायत की प्रतिवादीगण के विरुद्ध अपील इन्तकाल एस डी ओ साहब किशनगढ़-बास के न्यायालय में अपील उनवानी गीधा बनाम ग्राम पंचायत दायर की गई जो अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई, इसके पश्चात् उक्त निर्णय दिनांक 18-4-2000 एस.डी.ओ किशनगढ़-बास के निर्णय के विरुद्ध अपील सं. 48/2000 अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर में दायर कीगई जो अपील दिनांक 15-3-2001 को अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकार के आदेश 18-4-2000 एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 27-12-99 निरस्त किये गये, माननीय राज. उच्च न्यायालय जयपुर में एस बी सिविल रिट पिटिशन सं. 4541/98 पहले से ही दायर हुई थी जो राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 22-6-98 के विरुद्ध की थी, जो वादीगण के पिता गीधा व हरिसिंह वादी सं. 1 की सिविल रिट पिटिशन दिनांक 2-9-98 को खारिज करदी गई वो इसके बाद गीधा हरिसिंह ने दयाराम आदि प्रति0 के विरुद्ध गीधा बनाम दयाराम डी.बी. स्पेशल अपील रिट नं. 988/98 विरुद्ध निर्णय दिनांक 2-9-97 दायर की गई जिसमें गीधा का स्टे प्रार्थना पत्र दिनांक 8-5-2003 को खारिज कर दिया वो स्पेशल अपील रिट नं. 999/98 गीधा की खारिज करदी गई। इस प्रकार सभी अदालतों में गीधा वो हरिसिंह के विरुद्ध निर्णय पारित किये गये। इस प्रकार अब गलत आधार पर उपरोक्त सभी तथ्यों को छुपाते हुये अपने आपको खातेदार घोषित कराने का वाद दायर किया है जो वाद जा.दी. की धारा 11 रेस्जूडिकेटा की जद में आने के कारण मौजूदा वाद कतई चलने योग्य नहीं है वाद खारिज फरमाया जावे। तथा द.सं. 59। पर गीधा द्वारा जो नोट अंकित कराया हुआ है उस नोट को हटवाया जावे।

वादी ने दिनांक 10-6-09 की कहानी मिथ्या दर्ज की है प्रति0 दयाराम वो शमशेर श्योकोरी के समय से ही काश्त करते आ रहे हैं वो दिनांक 1-6-72 को श्योकोरी ने दयाराम वो शमशेर के हक में वसीयत कर दी वो श्योकोरी की मृत्यु के बाद विरासत इन्तकाल दयाराम वो शमशेर के नाम इन्तकाल सं. 46 दिनांक 10-10-77 को दर्ज वो स्वीकार हो चुका है सन् 1977 से आज कि यानि 32 साल से प्रतिवादीगण काबिज वो दखील चले आ रहे हैं इस प्रकार वाद वादीगण सरासर बेबुनियाद होने से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत काबिल खारिज है।

अत: प्रार्थना है कि वाद वादी खारिज फरमाया जावे। —7—

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

जवाब प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम की जाकर पक्षपती वादी साक्ष्य वादी नियत की गई। वादीगण ने साक्ष्य में हरिसिंह पी.डब्लु 1, हरचन्द पुत्र धान्दरीया गूर्जर पी.डब्लु 2, रोहिताश पुत्र बहराम गूर्जर पी.डब्लु 3, लक्ष्मण पुत्र सुन्देरी गूर्जर पी.डब्लु 4 के शपथ पत्र पेश किये हैं। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल ख. गि. सं. 2030-33 प्रदर्श 1, नकल ख. गि. सं. 2033-34 प्रदर्श 2, नकल अपील दिनांक 20-10-75 प्रदर्श 3, 4, नकल जमाबन्दी सं. 2029 प्रदर्श 5, नकल जमाबन्दी सं. 2030 प्रदर्श 6, नकल जमाबन्दी सं. 2038 प्रदर्श 7, नकल जमाबन्दी सं. 2043-47 प्रदर्श 8, नकल जमाबन्दी सं. 2051 प्रदर्श 9, नकल जमाबन्दी सं. 2055 प्रदर्श 10, नकल जमाबन्दी सं. 2059-62 प्रदर्श 11, फोटो प्रति. बयनामा दिनांक 31-7-75, नकल जमाबन्दी सं. 2004 प्रदर्श 12, नकल जमाबन्दी दि. 30-8-95 प्रदर्श 13, नकल जमाबन्दी सं. 2051 प्रदर्श 14, नकल जमाबन्दी सं. 2047 प्रदर्श 15, नकल जमाबन्दी सं. 2043 प्रदर्श 17, ख. गि. सं. 2040 प्रदर्श 18, ख. गि. सं. 2041 प्रदर्श 19, ख. गि. सं. 2017-20 प्रदर्श 20 नकल जमाबन्दी सं. 2030-34 प्रदर्श 21, नकल मिलानक्षेत्रफल प्रदर्श 22, नकल जमाबन्दी सं. 2029 प्रदर्श 23, नकल जमाबन्दी सं. 2024 प्रदर्श 24, नकल जमाबन्दी सं. 2055-58 प्रदर्श 25, नकल जमाबन्दी सं. 2047-50 प्रदर्श 26, नकल जमाबन्दी सं. 2038-41 प्रदर्श 27, नकल अपील राजस्व मण्डल प्रदर्श 28 निर्णय राजस्व अपील अधिकारी दि. 3-9-78 प्रदर्श 29, नकल निर्णय एस.डी.ओ. दिनांक 23-4-79 प्रदर्श 30, नकल निर्णय सम्भागीय आयुक्त दिनांक 16-3-01 प्रदर्श 31, नकल निर्णय उपखण्डाधिकारी 20-11-85 प्रदर्श 32, नकल इन्तकाल नं. 257 प्रदर्श 33, नकल इन्तकाल सं. 46 प्रदर्श 34, प्रार्थना पत्र दिनांक 27-5-99 प्रदर्श 35, नकल आदेश उपखण्डाधिकारी दिनांक 28-4-2010 प्रदर्श 36 पेश किये हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में घान्नूराम पुत्र [illegible] डी.डब्लु 1 के बयान कराये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सं. 2055-58 प्रदर्श डी. 1, नकल इन्तकाल प्रदर्श डी. 2, नकल जमाबन्दी सं. 2071-74 प्रदर्श डी. 3 पेश किये हैं।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में दावे में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुये बताया कि पिता वादीगण आराजी विवादित पर सम्वत् 2000से पूर्व से ही उक्त आराजी पर निरन्तर काबिज काश्त रहा था उसके बाद वादीगण काबिज काश्त है यह आराजी श्योकोरी बेवा प्राणा की खातेदारी में दर्ज थी जिस में वादीगण के पिता का नाम बतौर उपकृषक दर्ज था। कानूनन पिता वादी को खातेदार दर्ज करना चाहिये था। वकील वादीगण का

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

मुख्य तर्क था कि पिता वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व यानि सम्वत् 2012 से पूर्व काबिज काश्त था इसलिए कानूनन पिता वादीगण गीधा को खातेदारी प्राप्त हो चुके थे। तथा आराजी विवादित में से 1/4 भाग गीधा व 1/4 भाग का वादी हरिसिंह को दिनांक 22-10-75 श्योकोरी ने बेचान कर बयनामा भी पंजिबद्ध करा दिया था। जिन बयनामों के नामान्तरकरण {फ्रेगमेण्ट्स} टुकडे में बेचानं होने के कारण खारिज करदिये गये। पक्षकारान के मध्य इन्तकालात को लेकर ही विभिन्न न्यायालयों में अपीले चलती रही आराजी विवादित के संबंध में घोषणात्मक वाद दायर नहीं हुआ यह वाद वादीगण द्वारा अधिकारों की घोषणा के लिये दायर किया है। खसरा गिरदावरियों में गीधा द्वारा काश्त किया जाना अंकित है मौके पर हम काबिज काश्त है। श्योकोरी के फौत होने के बाद वसीयत का हवाला देते हुये प्रतिवादीगण के पक्ष में गलतरूप से नामान्तरकरण दर्ज करदिया जबकि वसीयत में विवादित खसरा नम्बरान दर्ज नहीं है। वसीयत केवल मकान व गुवाडे की है। आराजी विवादित पर न तो श्योकारी काबिज रही ना ही प्रतिवादीगण काबिज रहे बल्कि गीधा पिता वादीगण व वादीगण ही काबिज काश्त रहे है। वादीगण का कब्जा मुखालफाना {एडवर्स पजेशन} है। श्योकोरी की जानकारी में गीधा काबिज रहा उसने कभी विरोध नहीं किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्य से तनकीयात वादीगण के पक्ष में साबित होती है। अत: वाद वादी डिक्री फरमाया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में बताया कि वादीगण का एडवर्स पजेशन साबित नहीं होता है कब्जे की बाबत कोई साक्ष्य नहीं है। यह सही है कि गीधा को 700/=रू. में आराजी रहन रखी जो बाद में 700/-रूपये लौटा कर सरपंच उदमीराम से लिखापढी कराकर फक करली थी और श्योकोरी ने अपना कब्जा प्राप्त कर लिया था गीधा अथवा वादीगण का आराजी विवादित से कोई संबंध वो सरोकार नहीं है। गीधा व प्रति.नं.1 हरिसिंह ने जो बयनामें होना बताया है वह कतई फर्जी है बयनामों के आधार पर जो इन्तकाल दर्ज हुये वो खारिज करदिये गये। श्योकोरी खातेदार ने दिनांक 1-6-72 को दयाराम पुत्र निरसंगा वो शमशेर पुत्र चन्ना के पक्ष में वसीयत करादी और वसीयत के आधार पर इन्तकाल मंजूर हुवा। मृतक गीधा पिता वादीगण ने खातेदारी प्राप्त करने हेतु धारा 19{2}{ए} आर.टी.एक्ट. के तहत वाद पेश किया था जो दिनांक 20-11-85 को खारिज करदिया गया। इसलिए अब पुन: खातेदारी हेतु वाद नहीं लाया जासकता। वादीगण का वाद रेस्जूडीकेटा की तारीफ में आता है और वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत काबिल खारिज है। अत: वाद वादीगण खारिज फरमाया जावे।

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ-बास (अलवर)

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से हैं:-

<u>तनकी नं. 1:-</u> आया आ. साबिक ख. नं. 1024/6-00 जिसका हाल ख. नं. 1732/6-00 बीघा ग्राम बधेरीकलां तहसील किशनगढ़-बास का वादीगण काबिज काश्त खातेदार घोषित किये जाने योग्य है? इस तनकी का भार वादीगण पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 22 के अवलोकन से साबित है कि साबिक ख. नं. 1024/6-00 वाके बधेरीकलां के हाल ख. नं. 1732/6-00 पैमूद हुये हैं। प्रस्तुत वाद में वादीगण ने एडवर्स पजेशन व बयनामों के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। वादीगण द्वारा नकल निर्णय दिनांक 20-11-85 न्यायालय हाजा के अवलोकन से साबित है कि वादीगण के मृतक पिता गीधा द्वारा आराजी विवादित पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये मु. नं. 187/80 न्यायालय हाजा में अन्तर्गत धारा 19{2 ए}{1} आर. टी. एक्ट. के तहत पेश किया था जो वाद न्यायालय हाजा द्वारा 20-11-85 को खारिज करदिया गया था इसलिए एडवर्स पजेशन के आधार पर पुनः वादीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। जहातक बयनामों के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के बारमें विचारणीय बिन्दु यह है कि मृतक गीधा व प्रति. नं. 1 हरिसिंह ने पृथक, पृथक 1/4, 1/4 हिस्सा श्योकोरी से क्रय किया था तत्तसमय टुकडों में खरीद फरोक्त पर धारा 42 आर. टी. एक्ट. के अनुसार प्रतिबन्धित था इसलिए ही बयनामों के नामान्तरकरण खारिज करदिये गये। और वादीगण द्वारा उक्त बयनामों के आधार पर हक हकूकों की घोषणा बाबत पूर्व में कोई वाद भी दायर नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण द्वारा बयनामों के आधार पर भी अनुतोष चाहा गया है। चूँकि वर्तमान में अपखण्डन का नियम प्रभाव में नहीं है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रति. बयनामा प्रदर्श 12ए से साबित है कि श्योकोरी द्वारा हाल ख. नं. 1732/6-00 में से 1/4 भाग मृतक गीधा व 1/4 भाग प्रति. नं. 1 हरिसिंह को विक्रय किया है। इसके अलावा न्यायालय हाज के आदेश क्रमांक:राज./2010/245 दिनांक 28-7-10 प्रदर्श 36 के अवलोकन से भी साबित है कि बयनामों के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये हुये है। उक्त बयनामों के आधार पर वादीगण मृतक गीधा पिता वादीगण को आ. ख. नं. 1732/6-00बीघा 1/4 भाग व प्रति. नं. 1 हरिसिंह द्वारा कराये गये बयनामा दिनांक 22-10-75 के आधार पर 1/4 भाग का खरीददार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यहां यभी उल्लेखनीय है कि जब मृतक

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

इयोकारी खातेदार ने विवादित आराजी के 1/2 भाग का बेचान दिनांक 22-10-75 को करदिया था तो उसे बाद में बेचान शुदा रकबे की वसीयत करने का कोई कानूनी अधिकार शेष नहीं रहा था केवल 1/2 भाग की ही वसीयत करने के अधिकार थे। इसलिए यह तनकी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नं. 2:- आया आराजी मुतदाविया में प्रतिवादीगण ने अपने नाम का जो अंकन कराया है, वो वादीगण के हकूकों के विरुद्ध बातिल वो बेअसर है, तथा जिसे हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड होने योग्य है? इस तनकी का भार भी वादीगण पर था जैसा कि तनकी नं. 1 में विवेचन किया जा चुका है कि वादीगण बयनामों के आधार पर केवल 1/2 भाग पर ही हकूक खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। तथा वादीगण के इस खरीद शुदा 1/2 भाग पर जो अमल प्रतिवादीगण के नाम का हुवा है उसे वादीगण हजफ कराकर अपने नाम का अंकन बतौर खातेदार दर्ज कराने के कानूनन अधिकारी हैं। इसलिए यह तनकी भी आंशिकरूप से ही वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नं. 3:- आया वादीगण जर्ये ह.इ.दवामी प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी है? इस तनकी का भार भी वादीगण पर था तनकी नं. 1, 2 में किये गये विवेचनानुसार वादीगण अपने खरीद शुदा 1/2 भाग की जद तक प्रतिवादीगण को जरिये ह.इ.दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। यह तनकी भी आंशिकरूप से वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नं. 4:- आया वाद वादीगण आदेश 7 नियम 11 जा.दी.के तहत खारिज होने योग्य है? इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दिया गया है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर पूर्व में वाद दायर किया था जो वाद अब चलने योग्य नहीं है। यह सही है कि पूर्व में सम्पूर्ण रकबे का वाद एडवर्स पजेशन के आधार पेश किया था जो खारिज हो चुका था। परन्तु वादीगण द्वारा यह वाद 1/2 भाग के लिए बयनामों के आधार पर अधिकारों की घोषणा बाबत पेश किया है बयनामों के आधार पर अब तक कोई वाद पेश नहीं हुवा। केवल 1/2 भाग की जद तक ही आदेश 7 नियम 11 जा.दी.के प्रावधान लागू हो सकते हैं। इसलिए उक्त सम्पूर्ण वाद को आदेश 7 नियम 11 जा.दी.के तहत खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं हो। यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

--11--

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

किया जाता है तथा पिता वादीगण व वादी नं. 1 द्वारा खरीदशुदा कुल 1/2 भाग की जद तक जो अमल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम का हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार ही अमलदरामद हो। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेंगें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस. किशनगढबास

वाद नं.	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
	15.3.13	29.7.19

उनवान

हरिसिंह पुत्र गीधाराम गुर्जर निवासी बघेरीकला तहसील किशनगढबास जिला अलवर।
कैली उर्फ कश्मीरी पुत्री गीधाराम पत्नी जगदीश गूंर्जर निवासी बघेरीकलां हाल मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा।
मल्ली पुत्री गीधाराम पत्नी शिवराम उर्फ शिब्बू गुर्जर निवासी बघेरीकला हाल टिहली तहसील तिजारा जिला अलवर।

:–वादीगण–

बनाम

सोमोती देवी पत्नी दयाराम
रमेश चन्द पुत्र दयाराम
रतनलाल पुत्र दयाराम
कृष्णा पुत्री दयाराम
तारा पुत्री दयाराम
काली पुत्री दयाराम गुर्जर निवासी किशोरपुरा तहसील बानसूर
जीवराज पुत्र शमशेर
चादूराम पुत्र शमशेर
अणचीबाई पुत्री शमशेर जाति गुर्जर हाल निवासी ठाकला तहसील बानसूर जिला अलवर
नारायणी बाई पुत्री शमशेरसिंह जाति गुर्जर निवासी हाल टोडियार तहसील व जिला अलवर।
तहसीलदार लेण्ड होल्डर किशनगढबास जिला अलवर।

:– प्रतिवादीगण:–

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति:– 1. श्री अजयकृष्ण व्यास वकील वादीगण की ओर से।
2.श्री महावीर प्रसाद शर्मा वकील प्रतिवादीगण की ओर से

पर्चा डिक्री

दावा वादीगण वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक डिक्री किया जाकर आ0ख0न0 कुल ...0–00 वाके ग्राम बघेरीकलां के 1/4 भाग का वादीगण को व 1/4 भाग वादी नं0 1 को ...दार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पिता वादीगण व वादी नं0 1 द्वारा ...गुप्ता कुल 1/2 भाग की जद तक जो अमल राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण के नाम का हो ...उसे कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। ...सार ही अमलदरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगे।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned by CamScanner